न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./14/2019/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
आमा जनता ग्राम हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर जरिये 1. गोरधन पुत्र राजूराम 2. ईश्वरलाल पुत्र गोरधन 3. मूलाराम पुत्र पूराराम 4. जेठाराम पुत्र पीराराम जातियान जाट निवासीयान हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.श्रीमान सरपंच ग्राम पंचायत हीरा की ढाणी पंचायत समिति गिड़ा। 2.श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति गिड़ा जिला बाड़मेर 3.श्रीमान तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर। 4.श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हीरा की ढाणी, पंचायत समिति गिड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 270/2018 बअनवान आम जनता हीरा की ढाणी बनाम सरपंच ग्रा.पं.हीरा की ढाणी वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 05.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा के खेत खसरा संख्या 190 रकबा 62.19 बीघा व खसरा संख्या 34 रकबा 555.11 बीघा गैर मुमकिन गोचर की भूमि आई हुई हैं, जिस गोचर भूमि का अपीलांट व गांव की आम जनता द्वारा अपने पशुओं के चराने के लिये वक्त सेटलमेंट से उपयोग में लिया जा रहा हैं। उतरदातागण द्वारा चौराहा विस्तारीकरण कर गोचर भूमि पर चौराहे के निर्माण कार्य करने हेतु प्रयासरत हुए तब गोचर भूमि पर चौराहे के निर्माण कार्य करने हेतु प्रयासरत हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 31.12.2018 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए खसरा संख्या 34 रकबा 555.11 बीघा व खसरा संख्या 190 संयुक्त रकबा 62.19 बीघा भूमि में चौराहा निर्माण व अन्य किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करने व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया था। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

द्वारा एक मात्र आधार केवल पटवारी की मौका रिपोर्ट हैं एवं पटवारी क मोका रिपोर्ट न तो तथ्यात्मक स्थिति को प्रस्तुत करती हैं न ही राजस्व स्थिति को प्रकट करती हैं तथा न ही वास्तविक स्थिति को प्रकट करती हैं एवं जो बिना माप के मात्र कल्पना के आधार तैयार हैं को आधार मानकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर आये तथ्यों सहित विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि उतरदातागण द्वारा चौराहा विस्तारीकरण कर गोचर भूमि पर चौराहे के निर्माण कार्य करने हेतु प्रयासरत हुए तब गोचर भूमि पर चौराहे के निर्माण कार्य करने हेतु प्रयासरत हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 31.12.2018 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए खसरा संख्या 34 रकबा 555.11 बीघा व खसरा संख्या 190 संयुक्त रकबा 62.19 बीघा भूमि में चौराहा निर्माण व अन्य किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करने व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक मात्र आधार केवल पटवारी की मौका रिपोर्ट हैं एवं पटवारी क मोका रिपोर्ट न तो तथ्यात्मक स्थिति को प्रस्तुत करती हैं न ही राजस्व स्थिति को प्रकट करती हैं तथा न ही वास्तविक स्थिति को प्रकट करती हैं एवं जो बिना माप के मात्र कल्पना के आधार तैयार हैं को आधार मानकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर आये तथ्यों सहित विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुऐ बताया कि ग्राम पंचायत हीरा की ढाणी द्वारा ग्राम हीरा की ढाणी की आबादी भूमि में पूर्व में स्थित चौराहा को पुर्ननिर्माण व विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है जो कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि में ही किया जा रहा है। तथा गोचर भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा चौराहे का पुर्ननिर्माण व विस्तारीकरण आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अपीलांटगण आम जन की आड़ लेकर सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से मामले

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को लंबा करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन आराजी मौजा हीरा की ढाणी गैर मुमकिन गोचर भूमि के खसरा संख्या 34 रकबा 555.11 बीघा व खसरा संख्या 190 रकबा 62.19 बीघा भूमि गैर मुमकिन गोचर में यदि रेस्पोडेंट द्वारा चौराहे का नया निर्माण किया जाता है तो गोचर भूमि वक्त सेटलमेंट से लगातार प्रार्थीगण व आम जनता द्वारा पशुओं को चराने के उपयोग में ली जा रही है इसलिए सुविधा का संतुलन अपीलांटगण व आम जनता हीरा की ढाणी के पक्ष में प्रतीत होता है। वादग्रस्त आराजी का उतरदातागण द्वारा मौके एवं रेकर्ड की स्थिति में रदोबदल होने की पूरी आशंका है। इस दृष्टि से मामला पृथमदृष्टया,एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 270/2018 बअनवान आम जनता हीरा की ढाणी बनाम सरपंच ग्रा.पं.हीरा की ढाणी वगै. में पारित आदेश दिनांक 14.01.2019 को अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद संख्या 169/2018 के निस्तारण तक रेस्पोडेंटस को जरिये अस्थाई व्यादेश पाबंद किया जाता है कि वे मौजा हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा के खसरा संख्या 190 (नये खसरा संख्या 434/190, 435/190, 438/190) रकबा 62.19 बीघा व खसरा संख्या 34 रकबा 555.11 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे एवं वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे साथ ही अन्य खसरों पर निर्माण कार्य करने हेतु संबंधित खातेदार से सहमति/अनुमति लेकर निर्माण कार्य करने हेतु स्वतंत्र है।

राजस्व अपील अधिकारी ★ बाड़मेर ★

05/12/19
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

05/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner